

(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-2/2025 dated 20-5-2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

No. UD-A(1)-2/2025

Dated Shimla-2, the

20-5-2025

NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for inclusion of some areas in Municipal Council, Nurpur, District Kangra was notified in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 5 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act. No. 13 of 1994) for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification No. UD-A(1)-2/2025 dated 17th March, 2025 and published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 18th March, 2025;

AND WHEREAS, in this regard no objections were received in this department, within the stipulated period;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (3) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to include the areas specified in THE SCHEDULE given below, in the Municipal Council, Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh from the date of publication of this notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh:-

“SCHEDULE”

Sr. No	Name of Patwar Circle	Name of Mohal (Mouza)	Complete (C) or Partial (P)	Khasra No. proposed	Name of Panchayat	Area in Hectare
1	2	3	4	5	6	
	Gehi	Baldun	Partial	443/24,451/24, 454/24, 258 to 269, 404/273/1,408/275/ 1, 276, 278, 281, 289 to 293, 420/351, 356, 357, 422/358, 359 to 380, 503/383, 504/383	Khajjan	32-85-14
Total				53		

The Governor , Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of Act 1994 is further pleased to exempt the land and buildings in the areas specified in THE SCHEDULE from payment of property tax for a period of 03 years from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. The residents of these areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the record of rights.

By Order,

(Devesh Kumar)
Pr. Secretary (UD) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. : As above. Dated Shimla-2, the 20-5-2025

Copy is forwarded to the following for information & necessary action :-

1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, for excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.
6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.
7. The Deputy Commissioner, Kangra, H.P.
8. The Executive Officer, Municipal Council, Nurpur, District Kangra, HP

(Saurabh Jassal)
Spl. Secretary (UD) to the
Govt. of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या यू0डी0-ए0(1)-2/2025

तारीख: शिमला-2

१०-5-2025

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-2/2025 तारीख 17 मार्च, 2025 द्वारा नगरपालिका परिषद नुरपुर, जिला कांगड़ा में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार तद्वारा प्रभावित होने वाले संभाव्य निवासी(निवासियों)/व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप/आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया और जिसे राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 मार्च, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर इस विभाग में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका परिषद नुरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित करने के आदेश देते हैं।

“अनुसूची”

क्रम सं०	पटवार वृत्त का नाम	मुहाल/ (मौजा) का नाम	पूर्णतः (सी)/ आंशिक (पी)	प्रस्तावित खसरा नम्बर	पंचायत का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	
	गेही	बलदून	आंशिक	443/24,451/24, 454/24, 258 से 269, 404/273/1, 408/275/1, 276, 278, 281, 289 से 293,420/351, 356, 357, 422/358, 359 से 380, 503/383, 504/383	खजन	32-85-14
कुल				53		

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर संपत्ति कर के संदाय से भी इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की

अवधि के लिए छूट प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार-अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके रुढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: यू0डी0-ए0(1)-२/2025

तारीख शिमला-2 २०-5-2025

प्रतिलिपि को अग्रेषित किया गया है :-

1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/सभा क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को आवश्यक अनुपालना के लिए।
6. निदेशक जनगणना कार्य, शिमला
7. उपायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
8. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नुरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश



(सौरभ जस्सल)
विशेष सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार